न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद 91/2022

वादी :–

मेहबूब खान पुत्र हबीब खान जाति मुसलमान निवासी पतासर तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर ।

दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थित :– उभयपक्षकरान

(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय दिनांक :– 20.06.2022

वादी की और से प्रशासन गांवों के संग अभियान फोलोअप केम्प बागावास में प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी का सरहद मौजा पतासर पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा में खाता 6 रकबा 59.7476 हैक्टयर भूमि सयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त कृषि भूमि अवस्थित है। वादी वादी अनपढ़ काश्तकार है जिसे अपने राजस्व रेकर्ड को देखने की कभी जरूर नहीं हुई। राजस्व रेकर्ड के अनुसार उसका नाम मेहबूब खान की जगह मेकूब खां गलत दर्ज हो गया है। जिसका पता वादी को चलने पर पटवारी से रेकर्ड का पता करने पर पटवारी द्वारा नाम गलत दर्ज होने की बात कही। जबकि वादी का नाम उसके सभी रेकर्ड राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पहचानपत्र वगैरा में मेहबूब खान पुत्र वजीरखां ही दर्ज है। मात्र संयुक्त खातेदारी की भूमि के राजस्व रेकर्ड में सुमेरलाल की जगह मेकूबखां नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है । वादी का सही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से वादी अपनी कब्जा सुदा काश्त की भूमि का सरकारी उपयोग जैसे केसीसी ऋण इत्यादी का उपयोग नहीं कर पा रहा है । जिससे वादी को उक्त रेकर्ड दुरस्ती करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रविादीगण ने उपस्थित होकर ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार पचपदरा से इस सबंध में मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा रिपोर्ट में जाहिर किया कि मेकूबखां तथा मेहबूब खान एक ही व्यक्ति है । राशनकार्ड, आधार कार्ड, जमाबदी संवत् 2079–2082 में मेकूबखां दर्ज है जिसे दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना व पत्रावली व वादी साक्षी से प्रस्तुत दस्तावेंजात की छाया प्रति आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबदी संवत् 2079–2082 एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी सही व शुद्व नाम मेहबूब खान पुत्र वजीरखां है। केवल मात्र जमाबंदी में मेकूबखां दर्ज है, तहसीलदार पचपदरा से मौके की जांच कर वादी का सही नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है । अतः वादी का वाद स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

मुकदमा राजस्व वाद 91/2022

वादी :–
मेहबूब खान पुत्र हबीब खान जाति मुसलमान निवासी पतासर तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री जेठूलाल वकील वादी मिनजानिब एक पक्षीय प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादी के वाद को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है सरहद मौजा पतासर पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा में खाता 6 रकबा 59.7476 हैक्टयर वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम मेकूबखां पुत्र वजीरखां की जगह पर सही नाम मेहबूब खान पुत्र वजीरखां का अमलदरामद करे।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.06.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:16 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है सरहद मौजा पतासर पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा में खाता 6 रकबा 59.7476 हैक्टयर वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम मेकूबखां पुत्र वजीरखां की जगह पर सही नाम मेहबूब खान पुत्र वजीरखां का अमलदरामद करे। डिकी पर्चा जारी हो ।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:16 IST
Reason: SelfAttested